राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur
www.lsg.urban.rajasthan.gov.in E-Mail- caodlb@gmail.com Tel/Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(347)लेखा/15FC/बाध्य अनु./नॉन मिलियन/डीएलबी/2020/15365 दिनांक: 12/11/2021

स्वीकृति संख्या 55/2021–22

विषय : 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत नॉन मिलियन–प्लस शहरों के लिये वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु बाध्य अनुदान (Tied Grant) की प्रथम किश्त राशि नॉन मिलियन–प्लस शहरों के नगर निगम बीकानेर, अजमेर, उदयपुर एवं भरतपुर को राशि आवंटित किये जाने हेतु अनुदान राशि विभाग के बैंक खाते में हस्तान्तरण बाबत।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत नॉन मिलियन–प्लस शहरों के लिये वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु बाध्य अनुदान (Tied Grant) की प्रथम किश्त के रुप में राज्य की नॉन मिलियन–प्लस शहरों के नगर निगमों को **राशि रुपये 3038.74 लाख (अक्षरे रुपये तीस करोड़ अड़तीस लाख चौहतर हजार मात्र)** निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुए संलग्न सूची के अनुसार नॉन मिलियन–प्लस शहरों के नगर निगम बीकानेर, अजमेर, उदयपुर एवं भरतपुर को अनुदान राशि आवंटित किये जाने हेतु विभाग के ICICI बैंक खाता संख्या 031501004150 में राशि हस्तान्तरित किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(राशि लाखों में)

विकलेय मद	बजट प्रावधान वर्ष 2021–22	इस स्वीकृति पर व्यय की राशि
1	2	3
मांग संख्या – 29		
2217 – शहरी विकास		
80 – सामान्य		
191 – नगर निगम को सहायता		
(50) – केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं		
[10] – नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (General)		
12 – सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (केन्द्रीय सहायता)	4365.29	2087.31
मांग संख्या – 51		
[11] – नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (SCSP)		
12 – सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (केन्द्रीय सहायता)	1133.11	541.80
मांग संख्या – 30		
[12] – नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (TSP)		
12 – सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (केन्द्रीय सहायता)	856.66	409.63
कुल राशि	**6355.06**	**3038.74**

आवंटित राशि का व्यय 15वें वित्त आयोग के दिशा–निर्देशों अनुसार निम्नांकित मदो में किया जावेगा:–

(क)	पेयजल (Drinking Water including Rain water Harvesting and Recycling)
(ख)	ठोस कचरा प्रबन्धन (Solid Waste Management)

वर्ष 2020–21 हेतु पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट की बिन्दु संख्या **xvii** द्वारा उपरोक्त बाध्य अनुदान (Tied Grant) राशि का उपयोग निम्नानुसार निर्धारित किया गया है–

(क) 50 प्रतिशत राशि पेयजल (वर्षा जल संचयन एवं पुनर्चक्रण सहित) और

(ख) शेष 50 प्रतिशत राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निर्धारित किया गया है।

यह राशि संबद्ध केन्द्रीय प्रयोजित योजनायें (सीएसएस), यानी स्वच्छ भारत मिशन एवं अटल पुनरूद्धार और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरूत) तथा राज्य में कार्यान्वित की जा रही इस प्रकार की समान अन्य योजनाओं से प्राप्त निधियों के अतिरिक्त होगी। इन अनुदानों का उपयोग उपरोक्त योजनाओ में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा अपनी–अपनी हिस्सेदारी हेतु संपूरक के रूप में नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि कोई स्थानीय निकाय किसी एक श्रेणी की आवश्यकताओ को पूरा करता है तो तत्पश्चात इन निधियों को बाध्य अनुदान (Tied Grant) हेतु निर्धारित अन्य श्रेणी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा पेयजल (Drinking Water including Rain water Harvesting and Recycling तथा ठोस कचरा प्रबन्धन (Solid Waste Management) पर अनुदान राशि के उपयोग हेतु सर्विस लेवल बैंचमार्क निर्धारित किये गये है। जो निम्नानुसार हैः–

(क) पेयजल (Drinking Water including Rain water Harvesting and Recycling) .

जलापूर्ति
नल द्वारा जलापूर्ति के साथ कवर किए गए परिवार/घर
प्रति व्यक्ति को प्रति दिन आपूर्ति किया गया जल (लीटर में)
गैर–राजस्व जल में कमी
जल संरक्षण उपाय
वर्षा जल संचयन
जल का पुनःउपयोग/पुनर्चक्रण
जल निकायों का पुनरूद्धार

(ख) ठोस कचरा प्रबन्धन (Solid Waste Management)

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ भारत मिशन के स्थायी परिणाम
कूड़ा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग
सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के लिए जलापूर्ति की कवरेज

यह स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन होगीः–

01. निकाय द्वारा उक्त बाध्य अनुदान राशि का उपयोग शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक K-14012/6/2020-Amrut-IIB/E-9092867 दिनांक 28.08.2020 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में Public Financial Management System (PFMS) Platform With EAT (Expedniture, Advance, Transfer) Module के आधार पर किया जावेगा।
02. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
03. व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिशा–निर्देशो/मापदण्डो के अनुरूप प्रस्तुत किया जावे।
04. व्यय के लेखे महालेखाकार एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिए सदैव खुले रहेंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–3) विभाग की **आई.डी.क्रमांक 272100302 दिनांक 12.11.2021** द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम मे जारी की जा रही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(347)लेखा/15FC/बाध्य अनु./नॉन मिलियन/डीएलबी/2020/15366-398 दिनांकः 12/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर।

05. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय/आर्थिक मामलात) विभाग, राज0 जयपुर।
06. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर।
07. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
08. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, राज0 जयपुर।
09. जिला कलेक्टर, बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
10. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, प्रधान महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर।
12. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर।
14. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय जयपुर।
15. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय एवम् आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि राशि आपके खाते में प्राप्त होने के बाद संलग्न सूची के अनुसार संबंधित नगर निगमों के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरण करावे।
16. आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्वीकृति में आपकी निगम के सम्मुख अंकित राशि निगम के बैंक खाते में प्राप्त होना सुनिश्चित करावें। यदि उक्त राशि निगम के बैंक खाते में निर्धारित समय सीमा में हस्तान्तरित नही होती है तो अविलम्ब विभाग में दूरभाष नम्बर 0141–2223074 पर अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क करें तथा आवंटित राशि का व्यय 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी उपरोक्त दिशा–निर्देशों एवं निर्धारित मापदण्डो के अनूरूप ही किया जावे एवं साथ ही शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक K-14012/6/2020-Amrut-IIB/E-9092867 दिनांक 28.08.2020 के दिशा–निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे। (जिसकी प्रति संलग्न है)
17. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
18. नोडल अधिकारी, 15वें वित्त आयोग, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
19. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.बैंक लिमिटेड, राजापार्क, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सूची के अनुसार राशि सम्बन्धित नगर निगमों के बैंक खाते में हस्तान्तरित कर सूचना विभाग को उपलब्ध करावें।
20. प्रभारी वेब साईट, निदेशालय/समन्वयक, सीएमएआर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
21. बजट शाखा/अंक मिलान शाखा।
22. सुरक्षित पत्रावली।

(महेन्द्र मोहन)
वित्तीय सलाहकार

Release of 1st Installment of 15th Finance Commission Tied Grant for FY 2021-22 to Non-Million Plus Cities Nagar Nigam

(Amount In Lac)

Sr. No.	Name of ULB	Class	1st Installment of Tied Grant Year 2021-22	Demand No. 29	Demand No. 51	Demand No. 30	Total (5+6+7)
				Central Assistance			
				Budget Head 2217-80-191-(50)-[10]-12	Budget Head 2217-80-191-(50)-[11]-12	Budget Head 2217-80-191-(50)-[12]-12	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ajmer	Nigam	**891.69**	612.50	158.99	120.20	**891.69**
2	Bikaner	Nigam	**1030.00**	707.51	183.64	138.85	**1030.00**
3	Udaipur	Nigam	**699.62**	480.57	124.74	94.31	**699.62**
4	Bharatpur	Nigam	**417.43**	286.73	74.43	56.27	**417.43**
	Total		**3038.74**	**2087.31**	**541.80**	**409.63**	**3038.74**

(Rupees Thirty Crore Thirty Eight Lac Seventy Four Thousand Only)

(Deepak Nandi)
Director cum Special Secretary